समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक / /I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/01584

शीतल उरंग आयु 37 वर्ष वल्द कैलाश उरंग जाति गोंड
निवासी बंदीपुर हाजीपुर हुगली (पं0 बंगाल)

.... आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा .... अनावेदक

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष सविनय यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि, म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 की धारा 165 में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति कृषकों के हित में उनके स्वामित्व की कृषि / अकृषि भूमि गैर आदिवासी क्रेताओं के पक्ष में विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है लेकिन अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आदिवासी कृषकों की भूमियों के अंतरण पर प्रतिबंध न लगाते हुए संबंधित जिले के कलेक्टर को आदिवासियों की भूमि पर विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु स्पष्टतः प्रावधानित किया गया है ।

2– आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता जातिगत गोंड है और वह बंदीपुर हाजीपुर हुगली (पं0 बंगाल)का स्थाई निवासी है । आवेदक का निवास स्थान से सिवनीप्राणमोती लगभग 1200 कि0मी0 दूरी पर स्थित है । आवेदक ग्राम सिवनीप्राणमोती प0ह0नं0 20 रा0नि0मं0 छिन्दवाड़ा तह0 छिन्दवाड़ा (अधिसूचित क्षेत्र से बाह्य ग्राम) जिला छिन्दवाड़ा में स्वयं के भूमि स्वामी अधिकारों में भूखण्ड क्र0 137 / 4 / 2 एवं 137 / 10 / 2 रकबा 0.015 एवं 0.009 कुल रकबा 0.024 आरे

श्री सुनील मिश्रा द्वारा आज दि. 7-3-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20/3/18 नियत। क्लर्क ऑफ बोर्ड राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छिंदवाडा/भू0रा0/2018/1584

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-3-18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 71/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 01-3-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य **की** ग्राम सिवनीप्राणमोती ब0नं0 573 प0ह0नं0 20 तहसील व जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 137/4/2 एवं 137/10/2 रकबा क्रमश:0.015 एवं 0.009 हैक्टर कुल रकबा 0.024 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्विष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अंतरण पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं । उक्त आधार पर कलेक्टर ने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक के आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है आवेदक की अर्जित भूमि है । यह भी कहा कि उन्होंने आवेदन में आवेदित भूमि पृथक-2 टुकडों में होने तथा आवेदकों के पृथक-2 ग्राम में स्थाई निवास करने के कारण आवेदकों ने आवेदित भूमि को विक्रय कर निवास ग्राम से लगे हुए ग्रामों में भूमि क्रय करने का उल्लेख आवेदन में किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर गलत आधार पर आवेदन निरस्त किया है । शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उपरोक्त स्थिति में प्रकरण पुन: आदेश हेतु भेजा जा सकता है । 4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया । यह सही है कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की जिस अधिसूचना का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आदिम जनजाति क्षेत्र में छिंदवाडा जिले की छिंदवाडा, सौंसर एवं अमरवाडा तहसील सम्मिलित थी परंतु इसके उपरांत संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) तक के प्रयोजन के लिए भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II-ख-3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1977 द्वारा भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के छठे पैरा के उपपैरा (2) द्वारा बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं । मध्यप्रदेश के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूची सरल क्रमांक 21 पर छिंदवाडा तहसील के तामिया और जामाई जनजातीय विकासखंड, पटवारी	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छिंदवाडा/भू0रा0/2018/1584

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सर्किल क्रमांक 63 से 68 और क्रं0 72 और 73 पटवारी सर्किल क्रं0 62 के सीरगांव खुर्द और किरवानी-गांव, पटवारी सर्किल क्रमांक 69 के मैनावाडी और गगौली परासिया गांव तथा पटवारी सर्किल क्रमांक 97 का गांव बम्हनी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र हैं । इस अनुसूची में ग्राम सिवनी प्राणमोती जहां प्रश्नाधीन भूमि स्थित है का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) के बंधन से मुक्त है । इस प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । अत: उक्त विधिकस्थिति तथा आवेदकों की ओर से विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए उल्लिखित किये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों को उनके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: कलेक्टर, छिंदवाडा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम सिवनीप्राणमोती ब0नं0 573 प0ह0नं0 20 तहसील व जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 137/4/2 एवं 137/10/2 रकबा क्रमश:0.015 एवं 0.009 हैक्टर कुल रकबा 0024 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	